सिंचाई शक्यता के लक्ष्य प्राप्त नकरपाने के कारण

(1) परियोजना के लिए पर्याप्त राशि का आबंटन न किया जाना ।

(2) राज्यों द्वारा निर्माण के लिए बहुत सी परियोजनाएं हाथ में ले लेना, जिससे वित्तीय, प्रबंधकीय तथा तकनीकी साधन बंट जाते हैं ।

(3) मजदूरी, निर्माण-सामग्री, उपकरणों, अतिरिक्त पूर्जों, भूमि आदि की लागतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो जाने के कारण परियोजनाओं की लागतों में अत्यधिक वृद्धि।

(4) परियोजनाओं को हाथ में लेने से पहले भली-भांति अन्वेषण न किया जाना।

(5) परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी ।

(6) भूमि-अधिग्रहण में कठिनाइयां ।

(7) सीमेंट, इस्पात, विस्फोटकों मशीनरी, अतिरिक्त पूर्जों, विदेशी मुद्रा जैसी दुर्लभ निर्माण-सामग्री की अनुपलब्धता।

(8) अपर्याप्त आयोजन के कारण क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन ; इसमें जल-निस्सार की व्यवस्था और कमान क्षेत्रों में बाढ़-सुरक्षा कार्य शामिल करना सम्मिलित है।

(9) निर्माण, आयोजन तथा मानीटरिंग संगठनों की कमी।

(10) वितरण प्रणाली तथा संरचनाओं के लिए विस्तृत योजनाओं और प्राक्कलनों का अभाव ।

(11) समय पर अद्यतन प्राक्कलनों का तैयार न होना राज्य सरकारों को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से सूचित न करना ।

(12) परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रतिकूल भूविज्ञान परिस्थितियों, अभूतपूर्व और असामयिक बाढ़ों और इसी प्रकार की कठिनाइयों का आना ।

(13) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्माण-कार्य, अभिकल्पों और अन्य संगठनों को स्वीकृति देने में विलम्ब ।

Inspection of Sudarshan Chit Scheme

7743. SHRI R. L. P. VERMA:
SHRI H. N. NANJE GOWDA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Sudarshan Chit Scheme is under inspection of the Company Law Board under Section 209A of the Companies Act, 1956;

(b) if so, details thereof;

(c) findings of the Company Law Board; and

(d) action proposed to be taken against the company?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (d). It is presumed that the Hon'ble Member seeks information about M/s. Sudarshan Chit (India) Ltd. This company has been ordered to be inspected under Section 209A of the Companies Act, 1956 on priority basis. The inspection report is awaited.

Advocates for Cases at Calcutta High Court

7744. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many briefs of cases in different types of cases such as Civil, Criminal, Central Excise, Customs etc. were allotted to each lawyer of Central Government Lawyers Panel at Calcutta High Court and City Civil Bankshal Court during the last one year, state in detail;

(b) in the Central Government Lawyers Panel, how many are Barristers and how many Advocates in the Calcutta High Court; and

(c) how many junior advocates are in the Central Government Lawyers Panel to deal different categories of cases?